## उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0
## –आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के दिशा निर्देश–

1. सर्वप्रथम आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल (https://diupmsme.upsdc.gov.in/) पर उपलब्ध लॉगिन–> आवेदक लॉगिन ऑप्शन में जाकर , उपलब्ध लिंक ''नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण ''के माध्यम से अपना रजिस्ट्रशन करेगा।
2. इसके बाद पोर्टल पर एक नया पॉपअप पेज खुलेगा जिस पर आवेदक समस्त फील्ड्स को भरेगा जिसमें योजना का नाम (जिस योजना में आवेदन करना है), आवेदक का नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, एवं जिला का नाम, सुरक्षा कोड (कैप्चा) सम्मलित है।
3. यदि आवेदक पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो उसको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन में सीधे आकर क्रम संख्या 2 से प्राप्त उपयोगकर्ता आई.डी.,पासवर्ड एवं कैप्चा की प्रविष्टि करने के बाद लॉगिन बटन क्लिक करेगा।
4. इसके बाद आवेदक अपना पासवर्ड बदलेगा तथा पुनः पोर्टल के लॉगिन पेज पर जाकर अपनी यूजर आई डी एवं पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा।
5. अप्लाई के बटन पर क्लिक करने पर ई–फार्म का पेज खुलेगा।
6. आवेदक ई–फार्म में प्रविष्टि (एंट्री) करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि उसमें लगने वाले समस्त आवश्यक **दस्तावेजों/संलग्नकों की स्कैन्ड कॉपी (JPEG/PDF)** तथा पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर उसके पास उपलब्ध हो।
7. इसके बाद आवेदक ई–फार्म (आनलाइन आवेदन) को निम्न तीन स्टेप्स में भरेगा–
   (क) आवेदक ई–फार्म (आनलाइन आवेदन) में उपलब्ध सभी फील्ड्स में प्रविष्टि करेगा।
   (ख) योजना के अनुरूप सभी संलग्रक (डाक्यूमेंट्स) को अपलोड करना।
   (ग) शपथ पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर नोटरी से सत्यापित प्रति को अपलोड करना।
8. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों हेतु 'दस्तावेज देखे' टैब पर क्लिक कर सम्बधित दस्तावेज अपलोड किया जायेगा।
9. इसके बाद **आवेदक आवेदन कि ड्राफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट लेकर सभी प्रविष्टियों की समुचित जॉच कर लें, यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसे सम्बंधित ऑप्शन में जाकर ठीक कर ले।**
10. **आवेदक द्वारा अपलोड किए गये समस्त संलग्रक सही एवं स्पष्ट रूप से पोर्टल पर दिखने चाहिए**
11. इसके बार आवेदन की प्रति ऑप्शन में जाकर फाइनल सबमिट कर दे। एक बार फाइनल सबमिट कर देने के बाद आवेदन को संशोधित नहीं किया जा सकता।
12. आवेदन को फाइनल सबमिट करने के बाद, आवेदन की प्रति का प्रिंटआवट निकाल लें।
13. आवेदक आवेदन कि अद्यतन स्थिति को पोर्टल पर उपलब्ध **''आवेदन स्थिति''** पर आवेदन संख्या अंकित कर प्राप्त कर सकता है।

## उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना :–

यह योजना शासनादेश सं0 2/ 2019/093/18–2–2019–30(26)/2003 दिनांक 15.02.2019 के माध्यम से लागू की गयी। इस शासनादेश को कतिपय संशोधनों के साथ शासनादेश सं0–45 /2024/1607/18–2–2024–30(26)/2003 दिनांक 01.10.2024 के माध्यम से आगामी 05 वर्षों अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक लागू किया गया। विगत तीन वर्षों से कार्यरत सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी की ऐसी विनिर्माण इकाईयों जिनके द्वारा तकनीकी उन्नयन करते हुए नई टेक्नोलॉजी की मशीनें खरीदी जाती है, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत निम्नवत् प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं:–

**क–कैपिटल सब्सिडी** :–इकाई द्वारा नई तकनीकी की मशीनें खरीदने पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 5.00 लाख की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा किया जाता है।

**ख–ब्याज सब्सिडी** :– इकाई द्वारा यदि बैंक से ऋण लेकर नयी तकनीकी मशीनें खरीदी जाती है तो 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 05 वर्षों हेतु ब्याज सब्सिडी (अधिकतम रू0 1.00 लाख प्रति वर्ष) प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

**ग–स्वैच्छिक उत्पाद गुणवत्ता मानक और प्रमाणीकरण** :–इसके अन्तर्गत आई0एस0आई0 मार्क, हालमार्किंग, बी0आई0एस0 कृषि मंत्रालय का एगमार्क, आयुष इत्यादि हेतु प्रमाणीकरण की लागत का सूक्ष्म श्रेणी इकाई हेतु लागत का 75 प्रतिशत (अधिकतम रू0 2.00 लाख) तथा लघु श्रेणी इकाई हेतु लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू0 2.00 लाख ) के अनुदान का प्राविधान है।

**घ–कन्सल्टेंसी सहायता** :–उत्पादकता वृद्वि हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं से परामर्श प्राप्त किये जाने पर व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.00 लाख अनुदान देय है।

**ड–ब्रांण्डिग सहायता** :–इकाई द्वारा विकसित ब्राण्ड के नाम से 03 वर्षों तक विपणन किया गया हो तथा 03 वर्षों में कुल उत्पाद का कम से कम 50 प्रतिशत विपणन अवश्य किया गया हो तत्पश्चात आवेदन करने पर संबंधित वर्ष के पूर्ण विपणन का एक प्रतिशत (अधिकतम रू0 1.00 लाख) के अनुदान का प्राविधान है।

**च–जनरेटर क्रय/परिवर्तन/परिवर्धन पर वित्तीय सहायता** :–प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन0सी0आर0) के सी0ए0क्यू0एम0 मानकों के अनुरूप विनिर्माण इकाईयों में प्रयुक्त जनरेटर के गैस आधारित परिवर्तन ड्यूल फ्यूल मोड, 100 प्रतिशत अथवा रिट्रो फिटेड इमीशन कण्ट्रोल डिवासेज (ECDS) अथवा पूर्ण रूपेण एलपीजी/नेचुरल गैस/बॉयोगैस/प्रोपेन/ब्यूटेन फ्यूल आदि अथवा मानकों के अनुरूप नये जनरेटर्स के क्रय हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। यह सहायता उस इकाई विशेष को उत्पादन सम्बन्धी नई मशीनों हेतु किये गये तकनीकी उन्नयन (यदि कोई हो) के अतिरिक्त उपलब्ध कराई जायेगी।

उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान का स्वरूप सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों हेतु सी0ए0क्यू0एम0 मानकों के अनुरूप जनरेटर के क्रय अथवा तकनीक परिवर्तन के लिए आने वाली लागत (वास्तविक व्यय) के अनुसार निम्नानुसार होगा :–

जेनरेटर क्रय/परिवर्तन की लागत (लाख रूपये में)

| | 0–10 लाख | 10–40 लाख | 40 लाख या उससे अधिक |
|---|---|---|---|
| | | | |
| सूक्ष्म विनिर्माण इकाईयॉ | 50 प्रतिशत या रू0 5.00 लाख (जो कम हो) | 40 प्रतिशत या रू0 10.00 लाख (जो कम हो) | 25 प्रतिशत या रू0 20.00 लाख (जो कम हो) |
| | | | |
| लघु विनिर्माण इकाईयॉ | 40 प्रतिशत या रू0 5.00 लाख (जो कम हो) | 30 प्रतिशत या रू0 10.00 लाख (जो कम हो) | 20 प्रतिशत या रू0 20.00 लाख (जो कम हो) |
| | | | |